1	2	3	4
Bihar	4627	1712	—
Uttar Pradesh	12458	6441	—
Gujarat	195	105	—
Madhya Pradesh	435	193	—
Rajasthan	317	179	—
Himachal Pradesh	737	120	—
Haryana	251	12	—
Punjab	1947	173	—
Delhi	166	128	—
Foreign countries			
Bhutan	1187	277	—
Yemen	07	—	—
Dubai (UAE)	82	37	—
Total:	47,060	15,093	35

* Indian Certificate of Secondary Education Examination
$ Indian School Certificate Examination
× Certificate of Vocational Education Examination

लोक अदालत द्वारा स्वीकार किए गए मामले

731. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के लागू किए जाने के पश्चात् लोक अदालतों द्वारा कितने मामले स्वीकार किए गए और उनमें से कितने मामलों का निपटारा किया गया;

(ख) क्या मामलों के निपटान हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) और (घ) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 को 9 नवंबर, 1995 से प्रवर्तित किए जाने के पश्चात् इस अधिनियम के अधीन कोई लोक अदालत इस कारण आयोजित नहीं की गई है, क्योंकि राज्य और जिला प्राधिकरणों, तालुक मंडल विधिक सेवा समितियों और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों को अभी गठित किया जाना है तथा क्रियाशील बनाया जाना है। अधिनियम के अध्याय 3 का अभी तक पांच राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में विस्तार किया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Revival of companies by BIFR

732. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:
SHRIMATI CHANDRA KALA PANDEY:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether BIFR is a quasi-judicial body as per SICA (Special provisions) Act, 1985;

(b) whether operating Agency appointed by BIFR prepares revival plan for sick companies as per guidelines of the BIFR bench;

(c) whether such credibility of revival plan is subject to examination by any other institution as per Act; and